

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5)विभाग

क्रमांक:प.16(39)साप्र / 5 / 88

जयपुर, दिनांक: 03.12.2015

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.3.2012 के अधिक्रमण में राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में ठहरने वाले राजस्थान सरकार के समस्त निगमों/मण्डलों/उपक्रमों के पात्र अधिकारीगणों व भारत सरकार के सभी निगमों/मण्डलों/उपक्रमों के पात्र अधिकारीगणों व निजी व्यक्तियों के लिये ठहरने की दरें तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

राजस्थान स्टेट हाउस, चाणक्यपुरी के संशोधित दरें —

क्र. सं.	नाम वस्तु	मात्रा/निर्धारित सामग्री	निर्धारित दर (रु.)
1	चाय	सिंगल ट्रे (दो कप)	25
2	काफी	सिंगल ट्रे (दो कप)	30
3	नाशता	(दूध कार्नफलेक्स, दो अण्डों की प्रिपरेशन या वेजीटेबल कटलेट, दो स्लाईस का टोस्ट मय मक्खन/जैम/मार्मलेट, एक कप चाय/काफी)	75
4	दूध	(250) ग्राम एक गिलास मय चीनी	25
5	लंच/डिनर (वेजेटेरियन)	(गटाटा/पनीर/छोले/मौसम की वेजीटेबल, दाल/कढ़ी, चावल, दही, सलाद, पापड़, आचार/चटनी, चपाती पुड़िंग या मिठाई)	150
6	लंच/डिनर (नानवेज)	(चिकन/मीट, मौसम की वेजीटेबल, दाल/कढ़ी, चावल, दही, सलाद, पापड़, आचार, चटनी, चपाती, पुड़िंग या मिठाई)	225

(अ) राजस्थान राज्य के सार्वजनिक उपक्रम/निगम/मण्डल हेतु
(अधिकारियों की राजकीय यात्रा पर)

विवरण	निर्धारित दर (रु.)
कमरा	2000/- प्रति कमरा प्रतिदिन मय बैड टी एवं ब्रैकफास्ट (अधिकतम दो व्यक्तियों के लिए)
सुईट	3500/- प्रति सुईट प्रतिदिन मय बैड टी एवं ब्रैकफास्ट (अधिकतम दो व्यक्तियों के लिए) 500/- अतिरिक्त बैड
कांफेसहॉल	यथावत (रु.4000/- प्रति बैठक प्रतिदिन)

(ब) भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/निगम/मण्डल हेतु
(अधिकारियों की राजकीय यात्रा पर)

विवरण	निर्धारित दर (रु.)
कमरा	3000/- प्रति कमरा प्रतिदिन मय बैड टी एवं ब्रैकफास्ट (अधिकतम दो व्यक्तियों के लिए)
सुईट	5000/- प्रति सुईट प्रतिदिन मय बैड टी एवं ब्रैकफास्ट (अधिकतम दो व्यक्तियों के लिए) रु. 200/- अतिरिक्त बैड
कांफेसहॉल	10,000/- प्रति बैठक प्रतिदिन
लॉन	10,000/- प्रतिदिन
लाईटिंग	2500/- प्रतिदिन

(स) निजी कार्य से प्रवास करने वाले व्यक्तियों हेतु

विवरण	निर्धारित दर (रु.)
कमरा	3500/- प्रति कमरा प्रतिदिन मय बैड टी एवं ब्रैकफास्ट (अधिकतम दो व्यक्तियों के लिए)
सुईट	6000/- प्रति सुईट प्रतिदिन मय बैड टी एवं ब्रैकफास्ट (अधिकतम दो व्यक्तियों के लिए) रु. 300/- अतिरिक्त बैड
कांफेसहॉल	10,000/- प्रति बैठक प्रतिदिन
लॉन	10,000/- प्रतिदिन
लाईटिंग	2500/- प्रतिदिन

एक ही व्यक्ति द्वारा विवाह, बैठक व अन्य किसी प्रकार का समारोह किये जाने पर निम्न प्रकार किराया देय होगा :—

कमरा	रु. 3500/- प्रतिदिन
सुईट	रु. 6000/- प्रतिदिन
कान्फ्रेस हाल	रु. 15,000/- प्रतिदिन प्रति बैठक
लॉन	रु. 20,000/- प्रतिदिन (अग्रिम रूप से)
लाईंटिंग	रु. 5000/- प्रतिदिन

उपर्युक्त चार्जेज के अतिरिक्त विवाह इत्यादि के लिए लॉन एवं कान्फ्रेस हाल लेने पर सम्बन्धित व्यवित से कुल राशि की 20 प्रतिशत राशि लॉन एवं कान्फ्रेस हाल की सफाई इत्यादि कार्यों के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त की जावेगी। एक ही व्यक्ति द्वारा विवाह, बैठक एवं अन्य किसी प्रकार का समारोह आयोजित किये जाने पर लॉन का किराया रूपये 20,000/- प्रतिदिन अग्रिम रूप से लिया जायेगा।

स्थाई कमरा आवंटन वाले निगमों के लिए सेवा शुल्क व मरम्मत चार्जेज वार्षिक रूप से वास्तविक आधार पर देय होगा अस्थाई कमरा आवंटन के लिए निगमों के अधिकारियों के अवकाश पर आने पर निजी व्यक्तियों की दरें देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


 (महेन्द्र कुमार खीरी)
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

- विशिष्ट सहायक, मांसपंथी, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके आई.डी. क्रमांक 538 दिनांक 28.10.2015 के क्रम में।
- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग को उनके आई.डी. 101504465 दिनांक 20.11.2015 के क्रम में।
- निवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
- मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
- प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

०/८
३-१२-१५

Emai/v द्वारा भेजा गया
03/12/2015

ROOM NO. 1124, MAIN BUILDING, GOVT. SECRETARIAT, JAIPUR-302005

DEPUTY SECRETARY TEL NO (O) : 0141-2227874(M) 9414177555

A.S (M) : 9829075214 (F) 0141-5116626/2227958

WEBSITE – www.gad.rajasthan.gov.in email –